P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के विशेष सन्दर्भ में

रमा शर्मा
सह अध्यापक,
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
शा. कला महाविद्यालय,
कोटा, राजस्थान

सारांश

भारतवर्ष कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। जिसकी 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण हैं हमारे गाँव अनेक समस्याओं से ग्रसित है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, विकास के विविध आयोग ने हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया हैं। गाँवो के विघटन की प्रक्रिया के साथ–साथ गरीबी, ऋणग्रस्तता, अषिक्षा, बेरोजगारी, असमानता, अंधविष्वास आदि अनेक समस्याओ ने अपना स्थान बना लिया है। लैगिंक भेदभाव के साथ–साथ महिला वर्ग विषेषकर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति और भी शोचनीय हो गई है। भारत सरकार इस स्थिति मे सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयासरत रही है। अनेको योजनाओ के साथ–साथ रोजगार परक मनरेगा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र मे सराहनीय रही है, जिसने रोजगार सृजन के साथ–साथ अनेको क्षेत्र मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्य शब्द : ग्राम्याचंल, निर्धनता, सामाजिक संरचना, लैंगिक भेदभाव, परावलम्बी, सशक्तिकरण, वंचित, ग्रामीण विकास, सहभागिता, समवेषी विकास, आधारभूत सेवा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका, आत्मनिर्भरता, जागरूकता, सामाजिकता, स्वालम्बी।

प्रस्तावना

भारत की आत्मा गाँवो मे विकास करती है। अगर देश का विकास करना है तो भारतीय गाँवों को अनदेखा नही किया जा सकता। ग्रामीणविकास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान दशा मे सुधार किया जाता है जिसमे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रो मे गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल है। ग्रामीण समाज का सर्वागीण विकास का पहलू सामाजिक असमानता को दूर करके ग्रामीण महिला जो कि विकास की पंक्ति मे सबसे पीछे खडी है, उसको सबके साथ अंग्रिम पक्ति में लाना है। विविध विकास योजनाये महिलाओ के विकास के लिए निरन्तर कार्यरत है, उनका प्रभाव ग्रामीण महिलाओं पर कितना पड़ रहा है।

समस्या का चयन

भारत सरकार द्वारा निरन्तर चल रही विकास योजनाओ के उपरान्त भी क्या कारण है कि ग्रामीण महिलाओ की स्थिति आज भी उतनी बेहतर नही है जितनी की होनी चाहिए। मनरेगा महिलाओ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर स्वावलम्बी बना रहा है। हमारा उद्देश्य यह देखना है कि मनरेगा से महिलाओ की आर्थिक स्थिाति मे सुदृढ़ता के साथ–साथ और क्या परिवर्तन हो रहा है क्या उनमे आत्म विष्वास की अभिवृद्धि हो पा रही है?

अध्ययन का उद्देश्य

ग्रामीण विकास के विविध पहलुओ के अध्ययन के साथ–साथ ग्रामीण महिला, रोजगार सृजन के द्वारा स्वावलम्बी आत्मनिर्भर महिला के रूप मे हमारे सामने आ रही है, हमे ये देखना है कि मनरेगा महिलाओ के जीवन मे क्या परिवर्तन ला रहा है।

साहित्यावलोकन

ग्रामीण विकास विषय पर अनेक प्रकार के अध्ययन हुए है इनेम से उपलब्ध साहित्य का अवलोकन किया है। अनुसंधान के क्षेत्र मे पुस्तकें, समाचार–पत्र, पत्रिकायें आदि का अध्ययन किया है। आषीष बोस क पोपूलेषन ऑफ इण्डिया (1992), तपन बिसवाल, मानवाधिकार, जेण्डर एवं पर्यावरण (2012), डॉ० जस्मिन लारेन्स, महिला श्रमिक, सामाजिक स्थिति व समस्याएँ (2009), अमर्त्य सेन, आर्थिक विषमताये (2008), नैन्सी परनामी, राजस्थान मे मनरेगा (2013), डॉ० राजकुमार, महिला व विकास (2009), हनुमान सिहं गुर्जर, मनरेगा

अधिनियम (2008), निखिल डे ज्याद्रेंज : रोजगार गारण्टी अधिनियम (2006) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ई बुक (20017) कुरूक्षेत्र, योजना, समाचार– पत्र–पत्रिकाएं आदि। इन अध्ययनो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारण है जो सभी पक्षो को प्रभावित करती है।

शोध प्ररचना

उपरोक्त अध्ययन मे मुख्यतः प्राथमिक व द्वैतीयक स्त्रोतो का सहारा लिया गया है। वर्णनात्मक व विष्लेषणात्मक तरीके से समस्या को आगे लाने का प्रयास किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राम्याधारित कृषि प्रधान व्यवस्था है, जो कि विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। पिछली दो शताब्दियों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाये घटित हुई कि ग्रामों का स्वरूप ही बदल गया। औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के विकसित साधनों ने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सहित सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी ग्राम परावलम्बी होते चले गये तथा सुसंगठित गांवों में विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने लगी।

1991 की जनगणना में ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का आशय है 5000 या कम जनसंख्या, जहां के लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि हो तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो। 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में अधिकांश लोगों का व्यवसाय कृषि होने पर उन्हें भी ग्रामीण क्षेत्र में समाहित किया जाता है।[1]

सारतः ग्रामीण विकास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वर्तमान दशा में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सुधार किया जाता है व रहन–सहन की वर्तमान दशाओं को सुधारा जाता है। जी. पार्थसारथी का मत है, ''ग्रामीण विकास का तात्पर्य निर्धनों के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग से उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।[2] इस हेतु पूंजी व तकनीक का अच्छा उपयोग व गरीबों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ''इस विकास प्रक्रिया में आर्थिक व सामाजिक दोनों पहलुओं का समावेश होता है। आर्थिक पहलू से तात्पर्य आय उत्पादन रोजगार व्यवसायिक चेतना से है। सामाजिक पहलू से तात्पर्य समाज में विद्यमान सामाजिक असमानताओं, छुआछुत आदि को दूर करना है।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था की विशिष्ट पहचान

जब हम सामाजिक–आर्थिक समानता की बात करते है तो हमारे ग्रामीण सामाजिक संरचना को अनदेखा नहीं कर सकते है। सामाजिक संरचना में महिला व पुरूष प्रमुख रूप से प्रतिभागी है। समाज में चाहे अनेक वर्ग हो, जातियां हो, अमीर–गरीब हो लेकिन सामाजशास्त्री मानते है कि महिला व पुरूष दो प्रमुख वर्ग है। समाज पुरूष प्रधान समाज है, महिला की स्थिति गौण कही जा सकती है। वह महिला जो ग्रामों में निवास करती है अर्थात ग्रामीण महिला हर कदम पर, हर डगर पर पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। खेती बुआई, खुदाई, निदाई, रोट–कीट, खरपतवारों के नियन्त्रण में फसलों की सिंचाई व्यवस्था में, फसलों की कटाई से लेकर खलिहान व गोदामों में फलोत्पाद की संग्रहण व्यवस्था से लेकर पारिवारिक घरलू कार्यो, पशुपालन इत्यादि कार्यो में दिन–रात लगी रह कर अपनी महत्वूपर्ण भूमिका निभा रही है। कृषि कार्यो में महिलाओं का योगदान 55 प्रतिशत से अधिक है। अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी यह संकेत दिया है कि विकासशील देशों में अन्न उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान 50 प्रतिशत है तथा खाद्य निष्पादन का 100 प्रतिशत काम महिलाऐं ही करती है।[3]

अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करती हुई अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिये, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महिलाऐं अपना श्रम बेचती है, जिस पर उन्हें कोई सुविधाऐं नहीं, समाज में उनका कोई स्थान नहीं, रोजगार की सुरक्षा नही, वेतन नहीं बस शोषण ही शोषण। ग्रामीण महिला जो कि विकास से वंचित है, शक्तिहीन है, निम्नस्तर पर है, निर्धनता से ग्रसित है, पितृसत्ता से शोषित है। पारम्परिक सामाजिक व्यवस्था में न तो नीति निर्माण में भागीदारी है, न ही विकास योजनाओं में और न ही स्थानीय कायक्रमों में उनके हित सुरक्षित है। वे उपेक्षित एव अनभिज्ञ है। महिला चाहे शहरी हो या ग्रामीण भारतीय समाज में अवांछित, अपेक्षित एवं कुपोषित रूप से उसका परिवार में जन्म होता है तथा पराया धन समझकर उनके विकास पर कम खर्च किया जाता है, ससुराल पक्ष भी उनका शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण ही करता है। महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम ध्यान दिया जाता है, वे इस सन्दर्भ में अपने आपको सबसे निचले पायदान पर पाती है। वे सिर्फ भारवाहक पशुवत बनकर रह गई है, जो सुबह से शाम तक परिवार के घरेलू कार्यो, ईंधन, चारे लकड़ी की पूर्ति के लिए पिसती रहती है, परन्तु फिर भी उन्हें कोई लाभ, सम्पत्ति या पहचान प्राप्त नहीं होती। परिवार को निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकालने में ग्रामीण महिला की अपनी भूमिका है। आज भी ग्रामीण महिला लैंगिक भेदभाव, शोषण व दमन की शिकार है। आजादी के 60 वर्षो के पश्चात भी वे अपेक्षित व शोषित है, आय निम्न है, क्षमता विकास के समान अवसर भी न्यूनतम है। ईश्वर द्वारा रचित इस विश्व में आदमी को सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, जिसमे उसने अपनी सूझ–बूझ से नदी, नाले, प्रकृति, जानवर आदि औरत को भी अपना दास बना लिया है।[4] भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की स्थिति निम्न है, ऐसे अनेक सामाजिक कारण है, जो महिला की आजादी पर अंकुश लगाते है, प्रथाऐ निर्धारित करती है, खाप पंचायते, जातीय पंचायते, मानव व्यापार व डायन होने का दंश ग्रामीण महिलाओं को ही ज्यादा झेलना पड़ता है। महिलाऐं भी अपनी पारम्परिक भूमिका स्वाभाविक मानकर स्वयं पर अन्याय करती है।

यदि ग्रामीण महिला खेतो में, जंगलो में, चुनाई के कार्यो में, घरों में मजदूरी कर रही है तो अधिक से अधिक उसे रोजी ही तो चुकाई जायेगी, इससे अधिक क्या कोई अधिकार नहीं है ? अकाल, बाढ़ दंगा, तूफान,

गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बीमारी इन सब में अंततः महिला को ही सब कुछ झेलना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों (UNDP) द्वारा सन् 1990 में प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन नाम से विश्व की मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया जाता है, जिसमें दुनियां के उन सभी देशों को विकास प्रगति–सारणी में श्रेणीबद्ध किया जाता है जोकि संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य है। इन देशों को प्रगति–तालिका में स्थान देते समय वहां की मानव विकास दशा–दिशा को मानव विकास सूचकों के आधार पर यथा– शिशु–मृत्यु दर, मातृ–मृत्यु दर, सकल प्रजनन दर, साक्षरता दर, शाला नामांकन दर, विवाह के समय औसत आयु, प्रांरम्भिक शिक्षा प्राप्ति दर, जन्म के समय जीवन की मूलभूत सुविधाओं का स्तर आदि में प्रगति के स्तर को देखते हुए श्रेणीबद्ध किया जाता है। विकास के इस सूचक में जेण्डर आधारित प्रगति को भी नापा जाता है। विकास का लाभ महिलाओं व पुरूषों को बराबरी से मिल रहा है या नहीं ? यदि मानव विकास प्रगति की दशा अच्छी है किन्तु महिलाओं की दशा प्रतिकूल है तो नकारात्मक अंक प्रदान किये जाते है, जिससे वह राष्ट्र श्रेणीबद्ध क्रम में नीचे आ जाता है।[6]

ग्रामीण महिला की इन परिस्थितियों में रातो–रात आमूल–चूल परिवर्तन करने की कल्पना अब किसी परीलोक की कल्पना से कम नहीं है। लेकिन धीरे–धीरे ठोस परिवर्तन भी आकार ले रहा है। इस झंझावत में भी भारतीय महिला गर्व और स्वाभिमान से उठ खड़े होने की क्षमता दिखा रही है। भाग्य से भारी असमानता होने के बावजूद अपने आपको अभिव्यक्त करने की चाहत सभी वगों की महिला की जुबान पर है। महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि वह किसी भी अर्थ में पुरूषों से कम नहीं है। घर–परिवार का उत्तरदायित्व निभाने के साथ–साथ बाहर की दुनियां में भी वे अपना कदम रखकर अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज करवाना चाहती है।

ग्रामीण महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करके ही लोकतन्त्र को सार्थक लोकतन्त्र बनाया जा सकता है। महिला समानता के पक्षधर गांधीजी का विचार था ''मैं एक ऐसे संविधान का प्रयास करूंगा जो भारत को दासता से मुक्ति दिलाए। मै। ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें ऊँच–नीच का भेद न हो, महिलाओं को भी वही अधिकार प्राप्त हो जो पुरूषों को प्राप्त है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा. अमर्त्य सेन– ''महिलाओं की निरन्तर कम होती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें 'लुप्त महिलाओं' की श्रेणी में रखते है, उनके मुताबिक लुप्त महिलाऐं (37 करोड़) कहां है।[7] महिलाओं को कम मानने के कारण वे सुरक्षित नहीं है, अतः सम्पत्ति की भागीदार भी नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि ''स्त्रियों निरिन्द्रिया अदायदि'' पूरे विश्व में काम किए गए कुल घंटे में महिलाओं का योगदान 66 प्रतिशत होता है तथा कुल वैश्विक आय का महज 10 प्रतिशत ही वे कमाती है और विश्व की कुल सम्पत्ति में उसका हिस्सा मात्र एक प्रतिशत ही है। (संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद का प्रतिवेदन, 2002)

संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम, जो कि 24 अप्रेल, 1993 को लागू हुआ। इसी संविधान के अनुच्छेद 243(डी) में पंचायत को ग्रामीण अंचल की स्वशासन की संख्या माना गया है। इस संशोधन में महिलाओं हेतु न्यूनतम एक तिहाई सीटो पर आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। इस राजनीतिक आरक्षण के फलस्वरूप समस्त देश के स्तर पर 12 लाख निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि व प्रदेश के स्तर पर लगभग 43000 महिला प्रतिनिधि स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के दायित्वों को निभाने में अपना प्रत्यक्ष योगदान देती है। राजस्थान में महिला जनप्रतिनिधियों में 11 जिला प्रमुख, 542 जिला परिषद सदस्य जिनमें 486 आरक्षित पदों पर तथा 56 अनारक्षित सीटो पर महिला जनप्रतिनिधि चयनित हुई। पंचायत समितियों में कुल 125 ग्रामीण महिला प्रतिनिधि व पंचायत समिति सदस्यों में 2795 ग्रामीण महिला प्रतिनिधि पूरे राज्य में चुनी गई। पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता के प्रयास सफल कहे जा सकते है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।[8]

समग्र ग्रामीण विकास में जिसमें ग्रामीण महिला भी शामिल है के मूलभूत पहलू है–ग्रामीण जन की आर्थिक उन्नति एवं समग्र मानव विकास जिसमें सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता सुविधाऐं आदि विकास के अवसरों के रूप में सुनिश्चित तौर पर प्राप्त हो। समता परक दृष्टि से विकास प्रशासन हो जिससे ग्रामीण महिला को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकें। ऐसा विकास जो जेण्डर संवेदी नहीं है जोखिमपूर्ण है। महिलाओं की समुचित सहभागिता के अभाव में समान व समवेशी विकास की कल्पना नहीं जा सकती।[9]

यहां पर हम ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु विविध कार्यक्रमों जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर चलाये जाते रहे है, उनका विवरण निम्नलिखित है–

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु विविध कार्यक्रम

क्र.स.	योजना / कार्यक्रम	शुभारंभ	लक्ष्य	उद्देश्य
1	समन्वित बाल विकास योजना (ICDS)	1975-76	बाल–कल्याण	6 वर्ष तक की आयु के बच्चों और उनकी माताओं का स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक, शारिरीक और सामाजिक विकास करना तथा उनकी बीमारी, कुपोषण तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
2	ग्रामीण महिला तथा बालोत्थान योजना (द्ववाकरा	1982-83	महिला विकास	गरीब परिवार की महिलाओं को समूहो में संगठित कर लघु और उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार अपनाने में मदद कर उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर में सुधार करना।

3	किशोरी बालिका योजना	1985-86	बलिका विकास	गरीब परिवारों की किशोरी बालिकाओं को उनके सामान्य स्वास्थ्य,, टीकाकरण, स्वास्थ्य पोषण, आम बीमारियों के इलाज के लिए सुविधाऐं उपलब्ध करागर उनके स्वास्थ्य विकास के सुनिश्चित करना।
4	न्यू मॉडल चरखा योजना	1987-88	महिला रोजगार सृजन	ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना तथा उनके परिवार के जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि लाना।
5	महिला समाख्या योजना	1989-90	महिला सशक्तिकरण	महिलाओं को शिक्षा प्रदान करते हुए उन्हें समान अधिकार दिलाने तथा उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना।
6	महिला डेयरी योजना	1991-90	दुग्ध विकास में महिला रोजगार सृजन	ग्रामीण महिलाओं की विकाससस प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने उन्हें सामाजिक, आर्थिक समानता और सामाजिक, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के साथ उन्हें आर्थिक विकास हेतु पशु पालना व दुग्ध व्यवसाय अपनाने हेतु प्रेरित और प्रशिक्षित करना।
7	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	1993-94	पर्यावरण सुधार	ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन बचाने एवं धुऐं से महिलाओं को होने वाली बीमारियों से बचाना, वातावरण प्रदूषित होने से रोकना तथा ग्रामीण बेरोजगारों को स्वतः रोजगार कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर प्रदान करना।
8	महिला समृद्धि योजना	1993-94	महिला सशक्तिकरण	ग्रामीण महिलाओं को डाक घर बचत खाते में छोटी–छोटी बचते जमा करने हेतु प्रोत्साहित कर उनमें बचत की आदत डालना।
9	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	1994-95	समाजिक सहायता	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की महिलाओं की प्रसूति के समय एक मुश्त आर्थिक सहायता देनी।
10	इन्दिरा महिला योजना	1995-96	महिला सशक्तिकरण	ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुचित शिक्षा व संचार माध्यमों में उनकी मानसिकता को बदलना।
11	ग्रामीण महिला विकास योजना	1996-97	महिला सशक्तिकरण	महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव उन्मूलन, निर्णय में उनकी भागीदारी तथा उनमें जागरूकता उत्पन्न करना।
12	बालिका समृद्धि योजना	1997-98	बालिका विकास	समाज में गरीब परिवारों की लड़कियों को उचित स्थान दिलाना और उन्हें शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कर उनमें शिक्षा का स्तर ऊँचा करना।
13	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	1997-98	मातृ व शिशु कल्याण	परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण यौन रोगों से बचाव के समन्वित पैकेज के रूप में आवश्यक सेवाऐं प्रदान करना।
14	महिला समृद्वि योजना	1997-98	महिला साक्षरता	कम महिला साक्षरता वाले जिलो में बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय सीापित करके उनकी साक्षरता दर में वृद्धि करना।
15	स्वास्थ्य सखी योजना	1997-98	मातृ एवं शिशु कल्याण	ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन, शिक्षा एवं स्वच्छता कार्य{मों के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं सुरक्षित प्रसव हेतु आवश्यक सुविधाऐं प्रदान कराना।
16	महिला स्वशक्ति योजना	1998-99	महिला सशक्तिकरण	ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध करा कर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सचेत करते हुए उनकी सोच में परिवर्तन लाना तथा आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न करना।
17	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)	1999-2000	स्वरोजगार विकास	ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह के गठन के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए सामर्थ्य प्रदान करने के विभिन्न गांवों में छोटे–छोटे उद्योगों की स्थापना करना।
18	जन श्री बीमा योजना	2000-	समाजिक	गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का

		2001	आर्थिक सुरक्षा	समाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
19	महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम	2006	रोजगार सृजन	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना।
20	राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण यानि ''सबला''	2010	किशोरियों का सशक्तिकरण	किशोरियों को घर ले जाने के लिए राशन उपलब्ध कराना
21	जननी सुरक्षा योजना	2011	एम.एम.आर.दर को कम करना	प्रसव प्रक्रिया कुशल परिचारिकाओं की देखरेख में सम्पन्न कराना।
22	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	2011	नवजात शिशु की सुरक्षा	गर्भवती महिलाओं तथा बीमार नवजात बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाऐं उपलब्ध कराना।
23	स्वच्छ भारत अभियान	2014	स्वच्छता	स्वच्छता एवं खुले में शोच मुक्त भारत एवं शौचालय बनवाना।
24	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	2016	घरेलु एल.पी. जी. कनेक्शन	गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना।

आज भी अनेक लोक कल्याणकारी विकास योजनाओं के उपरान्त भी ग्रामीण महिला वर्ग की स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जाती सकती। हमारे गृह राज्य राजस्थान की बात करे तो 1.03 करोड़ घरों में शौचालय तक नहीं है। 32 प्रतिशत लोग पीने का पानी लेने आधे एक किलोमीटर तक पैदल जाते है, और 16 लाख से घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। गांवों में 97 लाख 6 हजार घरों में शौचालय नहीं है और 75 प्रतिशत मकानों में कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं है। इन आंकड़ो के माध्यम से हम यह बताना चाहते है कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में महिला की स्थिति को समझा जा सकता है, वह उसकी पीड़ा को जाना जा सकता है।[10]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम[11]

मनरेगा ग्रामीण अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी, 2006 को इस योजना का शुभारम्भ किया गया। 2 अक्टूबर, 2009 को महात्मा गांधी की 140 वीं जयन्ती पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने इसका नवीन नामकरण किया। यह एक ऐसा क्रांतिकारी एवं सामयिक सरकारी कार्यक्रम है, जिसने न केवल ग्रामीण गरीबों एवं मजदूरी पर आश्रित व्यक्तियों को सम्बल प्रदान किया है बल्कि वैश्विक मन्दी के इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा भी दिया है।[12]

मनरेगा को प्रारम्भिक चरणों में इसे देश के 200 जिलों में लागू किया गया। वर्ष 2007–08 में इसका 130 और जिलों में विस्तार किया गया। 5 वर्षो के मूल लक्ष्य से पहले तीन वर्ष के भीतर 1अप्रेल, 2008 से देश के सभी 593 जिलो में लागू कर दिया गया। यह योजना कई अर्थो में दूसरी सरकारी योजनाओं से अलग है। यह एक कानूनी बाध्यता है, अधिकार है, जिसके अन्तर्गत हर काम मांगने वाले को काम उपलब्ध करवाना सरकार का कानूनी दायित्व है, अतः यह योजना स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य है। इसने ग्रामीण बेरोजगारों को सीधे लाभ पहुचांया है। यह अधिनियम एक युगान्तकारी पहल है। अधिनियम ग्रामीण बेरोजगार को न केवल रोजगार की गारण्टी देता है अपितु वेतन के निर्धारण और भुगतान की कार्यवाही को भी विधिक स्वरूप प्रदान करता है। इस अधिनियम के माध्यम से कानूनी बाध्यताऐं आरोपित कर इस सन्दर्भ में एक सम्पूर्ण विधि का निर्माण किया है। मनरेगा के क्रियान्वयन हेतु एक उपयुक्त ढांचे की व्यवस्था की गई है, इससे ग्रामीण भारत में रोजगार की उपलब्धता एवं उसकी सुरक्षा की स्थिति को बल मिलेगा।[13]

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करने के अतिरिक्त यह कानून अन्य बड़े प्रयोजन को भी पूरा करता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक, परिसम्पित्तियों का सृजन एवं उसका रखरखाव, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, पर्यावरण संतुलन व ग्रामीण क्षेत्रों महिला सशक्तिकरण आदि। आजीविका की सुरक्षा को सरकारी दायित्व बनाने वाले अनुच्छेद 41 की पूर्ति मनरेगा के माध्यम से हुई है। यह सर्वविदित है कि सरकार सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता होती है। मनरेगा के माध्यम से भारत मे पुनः सामाजिक सरोकारों के प्रति सरकार की बढ़ती हुई जवाबदेहिता रेखांकित हुई है।[14]

महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी अधिनियम की मुख्य विशेषताऐं निम्नलिखित है : –

ऐतिहासिक अधिनियम

भारत के विधिक इतिहास में पहली बार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अपने ही स्थान पर 100 दिवस के गारण्टीशुदा रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा।

काम मांगने का अधिकार

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सरकार से 100 दिवस का रोजगार चाहने का हक है। इस प्रकार यक एक मांग आधारित अधिनियम है और न कि पहले की मजदूरी रोजगार योजनाओं की तरह आपूर्ति आधारित योजना।

बेरोजगारी भत्ता

यदि राज्य सरकार किसी परिवार की मांग पर उसे 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करा पाने में असफल रहती है तो वह बेरोजगारी भत्ते के संबंध में

निर्धारित दरों के अनुरूप परिवार की हकदारी के हिसाब से पात्र आवेदकों को मुआवजे का भुगतान करेगी।

ग्रामवासियों द्वारा कार्यो का चयन

ग्रामवासी स्वयं न कि कर्मचारी ग्रामसभा के माध्यम से अनुभूत कार्यो में से अपने गांव के विकास के लिए शुरू किये जाने वाले कार्यो के बारे में प्राथमिकता से निर्णय लगें।

महिलाओं को प्राथमिकता

योजनान्तर्गत महिलाओं को रोजगार के आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी और एक तिहाई रोजगार के अवसर उन्हें ही उपलब्ध कराये जायेगें।

पूर्ण पारदर्शिता

योजना मे ंपूर्ण पारदर्शिता होगी और मजदूरी का भुगतान सार्वजनिक रूप से किया जायेगा। उदाहरण के लिए मस्टर रोल अब गुप्त नहीं रहेगा और कार्य लोगों की जानकारी में होगें।

ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध

इस योजना के अन्तर्गत ठेकेदारों को अनुमति नहीं दी गई है।

पंचायतों की निर्णायक भूमिका

कार्यक्रम के सभी स्तरों पर पंचायते योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन में निर्णायक भूमिका निभायेगी।

श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर सुविधाऐं

योजनान्तर्गत कार्य स्थल पर अनेक सुविधाऐं प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त कार्य सिल पर घायल होने के मामले में निःशुल्क चिकित्सा का और श्रमिक की मृत्यु या स्थायी रूप से विकलांग होने के मामले में मुआवजे का प्रावधान है।

महानरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन से गरीब ग्रामीण व्यक्ति को सक्षम, सशक्त एवं क्रियाशील बेरोजगारों को उनके क्षेत्र में काम मिला है, वही पैसा हाथ में आने से ग्रामीणों की क्रय शक्ति भी बढ़ी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों की खपत को बढ़ावा मिला है। मनरेगा में कार्यरत कुल मजदूरों में आधी से भी अधिक ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी है। राजस्थान में तो महिलाओं की भागीदारी 70 प्रतिशत तक रही है। मनरेगा के माध्यम से महिलाओं के हाथ में पहुंचे धन तथा अनाज से ''मानव विकास सूचकांक'' में आशाजनक वृद्धि हुई है। मनरेगा में मजदूरी प्राप्त कर रही महिलाओं ने अपनी आजीविका को पशु खरीदने, बच्चों की पढ़ाई, रोगोपचार, पेयजल पौष्टिक भोजन व मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे हेतु लगाया है। प्रौढ़ व अविवाहित महिला जो अकेली है, उसके लिए मनरेगा जीवनदायिनी सिद्ध हुई है, जिससे वह स्वयं का भरण–पोषण करने में अपने आपको समर्थ पाती है। मनरेगा में इस तरह की महिलाऐं जो एकल है उनका एक पृथक जॉब कार्ड बनाया जा सकता है। जिसके माध्यम से वह रोजगार प्राप्त कर सम्माननीय जीवन जीने का अधिकार रखती है।

प्रसिद्ध अर्थशात्री नोबल पुरस्कार विजेता डा0 अमर्त्य सेन के यह शब्द ''अक्सर दोहराये जाते है कि कम खाद्यान्न उत्पन्न होने के कारण अकाल नहीं पड़ते, बल्कि कम क्रय शक्ति यानि अनाज नहीं खरीद पाने के कारण पड़ते है।''

मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं की क्रय शक्ति बढ़ाकर भूख व अकाल से मुक्ति दिलाने का सराहनीय प्रयास किया है। यह ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रभावी सुरक्षा कवच है, जिसके माध्यम से वे स्वयं तथा अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हेतु किये गये प्रावधानों से निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते है :–

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि मानसून पर निर्भर करती है, अतिवृष्टि व अनावृष्टि दोनों ही परिस्थितियों में ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो जाती है। ऐसे में मनरेगा गांवों में मील का पत्थर सिद्ध हुई है। मनरेगा के माध्यम से गांवों से एक तिहाई रोजगार सृजन का प्रावधान ग्रामीण महिलाओं के लिए है। इसके अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्म निर्भरता प्राप्त हुई है। आज ग्रामीण महिला के हाथ में स्वयं के अर्जित रूपयें है। यही भावना उसे आत्म गौरव से युक्त कर देती है और स्वाभिमान का भाव उसके चेहरे से झलकता दिखाई देता है।

महिला आत्मनिर्भरता ही उसकी सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है, यदि वह आत्मनिर्भर होगी तो शेष बाते अपने आप होती चली जायेगी। मनरेगा इसी तथ्य को सही सिद्ध करता है कि आत्मनिर्भरता ही वह उपाय है, जिससे महिला अपना सम्मान बचा सकती है तथा अपने परिवार का भरण–पोषण कर सकती है।

अधिकारों के प्रति जागरूकता

हमारे संविधान में अनेक अधिकार महिलाओं को प्रदत्त है, लेकिन इनकी जानकारी नहीं होने के कारण वे उनका लाभ उठाने से वंचित रह जाती है। महिलाओं को समाज में पुरूषों के साथ मिलकर ही कार्य करना होता है। समाज परिवार रूपी गाड़ी को महिला–पुरूष दोनों मिलकर चलाते है। समाज में ऐसी व्यवस्था विकसित होनी चाहिए जिससे उन्हें सामाजिक, कानूनी, राजनैतिक व आर्थिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त हो सके। विचार विमर्श, सभा सम्मेलन आदि के माध्यम से उपरोक्त अधिकारों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। महिला जब घर से निकली है काम पर जाती है, बाहर के अनेक सरकारी व गैर सरकारी जनप्रतिनिधियों से मिलती है तो निश्चित ही उसकी जागरूकता का स्तर बढ़ता है, वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत होती है व मांग भी रखती है, विरोध भी करती है। उनके उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरह कम मजदूरी मिलने पर उन्होंने सरकारी अधिकारियों का घेराव किया और अपनी बात को आगे तक पहुंचाया। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने से ही महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरा हो पायेगा। मनरेगा के द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है और वे अधिकारों के प्रति सचेत हो रही है। नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि हो रही है।

सामाजिकता के दायरे में वृद्धि

मनरेगा में काम मिलने पर महिला घर से कार्य क्षेत्र को जाती है, वहां पर अपने परिवार के अतिरिक्त अन्य सभी स्तर के व्यक्तियों से मिलती है, इससे उसका

अपना सामाजिकता का दायरा बढ़ता है, जिस महिला को पर्दे के कारण घर में ही रहना पड़ता है, आज वह चाहे पर्दे में ही परन्तु बाहर काम करती है तो उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। बाहरी दुनियां को समझने की उसको शक्ति भी बढ़ती है। वह भी जान पाये कि बाहर की दुनियां कैसी है और वह कहां है ? इस भावना से वह अपना विकास कर पायेगी और उसका दायरा भी बढ़ेगा क्योंकि कहा जाता है कि कल्पनाओं की उड़ान अनन्त है, महिला को भी अधिकार है इस अनन्त उड़ान पर जाने का।

बचत की आदत

मनरेगा के अन्तर्गत अर्जित मजदूरी का भुगतान सीधे नहीं होता है। इसमें बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य है। काम का पैसा सीधे आपके खाते में जमा होता है। इसके अनेक लाभ है एक तो आपके श्रम के पैसे को दूसरा छीन या हड़प नहीं सकता। दूसरे पैसा बैंक में जमा होने के कारण पूरी मजदूरी जमा होती है, जिससे दलालों का दखल नहीं हो पाता है। तीसरे बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिसके कारण पैसा जमा होता जाता है।

मनरेगा श्रमिक कानूनों का अनुपालन करते हुए महिला श्रमिकों को पूरा लाभ देती है। जैसे समान काम करने के लिए समान वेतन देना, मातृत्व लाभ प्रदान करना तथा न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना, इसके अतिरिक्त श्रम की उचित परिस्थितियों जैसे– छायादार स्थल, पीने के पानी की व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए पालनागृह व उनको देखभाल के लिए एक अलग महिला श्रमिक की व्यवस्था आदि करता है, तथा शोषण से मुक्त प्रदान करता है। उपरोक्त प्रावधानों से महिलाओं को सीधा लाभ मिलता है।

विकास को बढ़ावा

मनरेगा के अन्तर्गत पेयजल संरक्षण जल संग्रहण के कार्यो, इत्यादि के कारण जल संग्रहण संरचनाओं का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को अपने घरेलु उपभोग के लिए पानी लाने हेतु दूर तक नहीं जाना पड़े। महिलाओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभी लोग मिलकर गांव की विकास योजनायें स्वयं बनाते है, इससे सामाजिकता के साथ–साथ विकास को बढ़ावा मिलता है, जल संग्रहण संरचनाओं के कारण पेयजल की उपलब्धता, वृक्षारोपण आदि के कारण हरियाली एवं कुओं का जल स्तर बढ़ा है जिससे महिलाओं की राहे आसान हुई है।

परिवारों की सुदृढता

मनरेगा के कारण मजदूरों के शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति में कमी आई है, इसका सीधा लाभ परिवारों को मिला है, पूरा परिवार एक साथ रहता है, जिससे रहन–सहन सुधरता है, महिला–पुरूष–बच्चों को परिवार की सुरक्षा प्राप्त होती है, वैसे परिवार हमारे सामाजिक जीवन की मूलभूत इकाई है, यदि परिवार सुदृढ व सुरक्षित होगा तो समाज भी विकसित होगा, इससे अनके सामाजिक, समस्यायें स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। इस कारण मनरेगा से मिले सम्बल के कारण महिलाओं को खुशी मिली है कि उनका पति अब कमाने शहर नहीं जायेगा।

मनरेगा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा कार्यक्रम है जो समवेशी विकास का मॉडल पर आधारित है। स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रोजगार गारण्टी का प्रबल बल मिला है। स्थानीय हाट–बाचार में इसका प्रभाव सीधे देखने को मिलता है। महिलाओं की क्रय क्षमता बढ़ने से बाजारों में आई रौनक को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। महिलाऐं अपने बच्चे की अंगुली पकड़कर खरीददारी करते हुए अपने आपको गौरवान्वित व हर्षित अनुभव करती है, क्योंकि वह अब परावलम्बी नहीं है। मनरेगा से महिलाओं में स्वावलम्बी होने का बोध व असम्मानजनक तरीके से आजीविका कमाने का बहुमूल्य अवसर मिला है, इससे अच्छी बेगारी में कमी आयेगी, जिससे काम व आराम दोनों प्राप्त कर सकेगी, तनाव भी कम होगा। खाद्य–उपभोग में सुधार, स्वास्थ्य स्तर में सुधार, पीने के पानी की नियमित उपलब्धता, ड्रेनेज का निर्माण, इससे गांवों में सफाई व स्वच्छता व बीमारियों की कमी व बचाव तथा शौचालयों का निर्माण भी स्वास्थ्य स्तर में सुधार के साथ–साथ महिलाओं की निजता का भी सम्मान होगा। मनरेगा ने महिलाओं का आगे आने के लिए अधिकार व मंच उपलब्ध करवाया है ताकि वे अपने मन के विचार खुलकर प्रकट कर सके।

ग्रामीण महिला की प्रतिभा किसी से छीपी नहीं है, प्रश्न केवल उन्हें समुचित अवसर प्रदान करने का है। आज देश में करीब 7 लाख स्वयं सहायता समूह चल रहे है। ग्रामीण प्रतिभा के समुचित दोहन हेतु शिक्षा पहली शर्त है, जिसके बल पर प्रतिभा विकसित की जा सकती है। ग्रामीण महिला एवं बालिका के र्स्वागीण विकास के लिए शिक्षा के साथ–साथ विशेष तकनीकी कार्यक्रमों की शुरूआत करती होगी। शिक्षा व स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने के साथ–साथ महिलाओं को निर्णय में भागीदारी भी आवश्यक है, उनके दृष्टिकोण को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। महिलाऐं अपनी सक्रियता से सशक्तीकरण के उद्देश्य को पूरा कर सकती है। हमारा मानना है कि चाहे कितने भी सरकारी व गैर–सरकारी प्रयास किये जाये, जब तक महिला स्वयं शिक्षित व जागरूक नहीं होगी, अपनी आवाज स्वयं नहीं उठायेगी कोई दूसरा ज्यादा मदद नहीं कर सकता।

निष्कर्ष

सारतः यही कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिला के सर्वागीण विकास के क्षेत्र में मनरेगा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नूतन आयाम स्थापित हो चुका है। मनरेगा के माध्यम से दलितो, पिछड़ो, निर्धनो, कमजोर ग्रामीणों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया है। जिससे उनमें आत्मविश्वास, आत्मगौरव, रोजगार की उपलब्धता से आत्मनिर्भरता का भाव आया है, जिससे महिलाओं की क्रय क्षमता बढ़ी है। जागरूकता भी बढी है, परिवार भी सुरक्षित हुए है, सामाजिक समस्यायें भी कम हुई है। मनरेगा इस दिशा में किया जाने वाला सफल व सराहनीय प्रयास है। ऐसी स्थिति में समाज वैज्ञानिकों का भी यह दायित्व है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना को ग्रामीण महिला के दृष्टिकोण से देखे और व्यवहारिक सुझाव दे,

ताकि अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों से आने वाले समय में यह अधिनियम और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा जिससे ग्रामीण महिला सशक्त, जागरूक होकर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके, ऐसी हमारी आशा है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *आशीष बोस : पोपूलेशन ऑफ इण्डिया, 1991 सेन्शस रिजल्टस् एण्ड मैथडोलॉजी, (देहली बी.आर. पब्लि. 1992)*
2. *जी. पार्थसारथी : इन्टीग्रेड रूरल इवलपमेन्ट कन्सेप्ट थिऑरिटीकल बेस एण्ड कंस्ट्रक्शन इन रूरल डवलपमेन्ट इन इण्डिया (एडीटेड) दिल्ली, एग्रीकोल पब्लि, 1981*
3. *तपन बिसवाल : मानवाधिकार, जेण्डर एवं पर्यावरण, (मेकमिलन पब्लिशर्सस) नई दिल्ली 2012*
4. *एम.ए. अंसारी : महिला और मानवाधिकार (ज्योति प्रकाशन, जयपुर)*
5. *डा. जास्मिन लारेन्स : महिला श्रमिक : सामाजिक स्थिति एवं समस्याऐं (अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली) 2009*
6. *तपन बिसवाल : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, (मेकमिलन पब्लिशर्सस) नई दिल्ली 2010*
7. *अमर्त्य सेन : आर्थिक विषमताऐं (राजपाल पब्लि. नई दिल्ली, 2008)*
8. *डा. नैन्सी परनामी : राजस्थान में मनरेगा (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2013)*
9. *डा. अनिता : पंचायती राज प्रशिक्षण संदर्भ सामग्री (इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर, 2010)*
10. *डा. राजकुमार : महिला एवं विकास (अर्जुन पब्लि. हाऊस, नई दिल्ली) 2009*
11. *हनुमान सिंह गुर्जर : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर)*
12. *निखिल डे. ज्याद्रेंज, रीतिका खेरा : रोजगार गारण्टी अधिनियम (प्रवेशिका) (नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, 2008)*
13. *कुरूक्षेत्र, वर्ष 56, अंक 2, दिसम्बर, 2007*
14. *मनरेगा योजना से सम्बन्धित जानकारी पुस्तिका पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार राजस्थान*
15. *समाचार पत्र पत्रिकाए*
16. *अर्थ व्यवस्था, पत्रिका volll–8 2013*
17. *राजस्थान पत्रिका*
18. *दैनिक भास्कर*
19. *हिन्दुस्तान टाईम्स*
20. *योजना*